2015 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

'खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम।
 - 2. धारा 4-क का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुर स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा संक्षिप नाम। सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
- 2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, धारा 4-क विश्व में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, धारा 4-क विश्व में संशोधन। 1955 की धारा 4-क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

अनि प्रमाहीत

सन्त्री (आवकारी एव कराबान) द्विमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4—क के अधीन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्युक रूप से प्राधिकृत, सड़क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या प्रेषण / प्राप्ति कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है। हर बार नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजने पड़ते हैं । क्योंकि यह एक अविरत प्रक्रिया है इसलिए नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बजाए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बजाए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को सशक्त करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है। इससे नए व्यौहारियों को जिला मुख्यालय पर अपने मामलों का परिनिर्धारण कराना सुकर हो जाएगा और उन्हें आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राधिकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा। इसलिए पूर्वीक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

शिमला .

तारीख : 25 08 / 2015

5 0 8 2015

सन्त्री (आवक्तीरी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(प्रकाश चौघरी) प्रभारी मन्त्री।

(डॉ० बलदेव सिंह) सचिव (विधि)।

> कार्यो (आवकारी एवं करायान) हिमाचल ध्रदेश

शिमला :

तारीख : ... 2.5 | 0.8 | 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

- 4—क. सामान का विक्रय करने या करवाने अथवा प्रेषण या परिवहन को प्राधिकृत करवाने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त सामान कर का संग्रहण.—(1) धारा 3—ख की उप—धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सामान का विक्रय करने या क्रय करने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला और आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा, सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, मोटर गाड़ी, जिसमें या जिस पर सामान का परिवहन किया जाता है के, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति या चालक से, धारा 3—ख के अधीन संदेय कर की रकम, विहित रीति में संगृहीत करेगा और ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, विहित रीति में उसका संदाय सरकारी खजाने में करेगा।
- (2) ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति मोटर गाड़ी, जिसमें या जिस पर सामान का परिवहन किया जाना है के, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति या चालक को विहित रीति में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और प्रमाण-पत्र को पेश करने पर अधिनियम की धारा 3—ख की उपधारा (2) के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा।
- (3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) और (2) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंधन करता है, तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, उपधारा (1) के अधीन संदेय कर की रकम के दोगुना से अनिधक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा ।
- (3-क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पाँच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा।
- (3—ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3—क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे पाँच हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।

- (3—ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।
- (4) धारा 12 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन संदेय कर और या अधिरोपित किन्तु अनिक्षिप्त किसी शास्ति की किसी रकम की वसूली के लिए लागू होंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 4-A.

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955(Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers Short title. and Goods Taxation (Amendment) Act, 2015.
- 2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Amendment Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation 4-A. Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, every person selling or causing or authorizing to cause dispatch/receipt of goods for carriage by road, duly authorized by the Excise and Taxation Commissioner, is required to collect the amount of tax payable under section 3. Every time the cases for authorization of new dealers have to be sent to the Excise and Taxation Commissioner. Since this is an ongoing process, therefore, it is considered just and reasonable to empower the Assistant Excise and Taxation Commissioner and the Excise and Taxation Officer Incharge of the district, to authorize new dealers instead of Excise and Taxation Commissioner. This will facilitate the new dealers to get their cases settled at the district headquarters and they will not be required to get authorization from the Excise and Taxation Commissioner. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The...2.5./.08./2015.

n. ..

वी (आवलारी एवं दाराधान) हिमाचल प्रदेश

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

authenticated

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

सन्त्री (आवकारी एवं कराधान) द्विमाचल प्रदेश

(DR. BALDEV SINGH)
Secretary (Law).

SHIMLA:

The....25/28. J. 2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOOD TAXATION ACT, 1955 (ACT NO. 15 OF 1955) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

- 4-A. Collection of additional goods tax by a person selling or causing or authorizing to cause dispatch or transport of goods.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 3-B, a person selling or purchasing or causing or authorizing to cause dispatch or receipt of goods for transport and duly authorized by the Excise and Taxation Commissioner, by notification, shall in the prescribed manner, collect the amount of tax payable under section 3-B from the person-in-charge or the driver of the motor vehicle, as the case may be, in or on which goods are to be transported and the person making such collection shall, in the prescribed manner, make payment of the same into the Government treasury.
- (2) The person making such collection shall issue a certificate in the prescribed manner, to the person-in-charge or the driver of the motor vehicle, as the case may be, in or on which goods are to be transported and, on the production of the certificate, no tax shall be payable under sub-section (2) of section 3-B of the Act.
- (3) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-section (1) and (2), the prescribed authority shall, after giving opportunity of being heard, by an order in writing, direct that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding twice the amount of tax payable under sub-section (1).
- (3-a) Such person as specified in sub-section (1) shall, in the prescribed manner, furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him along with the treasury challan.
- (3-b) If a person specified in sub-section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.
- (3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the

amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.

(4) The provisions of section 12 shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax payable and or any penalty imposed but not deposited under this section.